न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 285–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–1–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला हरदा प्रकरण कमांक 03/अ–27/2011–12.

.....

राजेश पिता राधेलाल ब्राम्हण
निवासी ग्राम आमासेल
तहसील खिड़.किया, जिला हरदा

.....आवेदक

विरूद्ध

सतीश आत्मज राधेश्याम गुहा
निवासी 429 ए सुखलिया अग्रवाल
आटा चक्की के पास इंदौर
जिला इंदौर

.....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक
श्री नितिन स्थापक, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 11 अप्रैल, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के पिता द्वारा नायब तहसीलदार, हरदा (खिड़किया) के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम आमासेल स्थित भूमि सर्वे कमांक 363/1 रकबा 5.38 एकड़, 363/2 रकबा

7.46 एकड़ एवं सर्वे कमांक 196 रकबा 0.18 डिसमिल कुल रकबा 13.02 एकड़ राजस्व अभिलेखों में उसके नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है । वह वृद्ध हो चुका है, इसलिए अपने पुत्र राजेश कुमार के नाम उक्त भूमियां दर्ज करानां चाहता है, अतः राजेश कुमार का नाम दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–27/88–89 दर्ज किया जाकर दिनांक 30–11–88 को आदेश पारित कर आवेदक राजेश एवं उसके पिता राधेलाल के मध्य बटवारा स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 30–11–88 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा दिनांक 28–9–2011 को लगभग 22 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, खिड़किया जिला हरदा के समक्ष प्रस्तुत की गई । आवेदक द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–11–2011 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर, हरदा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 27–1–2012 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मूल भूमिस्वामी द्वारा गोद पुत्र को भूमि दी गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक को लगभग 22 वर्ष के पश्चात अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में व्यवहार वाद वर्ष 2007 में प्रस्तुत किया गया है, अतः वर्ष 2007 में ही अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी हो गई थी, इसके बावजूद भी 4 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक को गोद पुत्र माना गया है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न हो गया है, जिसका निराकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, तहसील न्यायालय का पूर्व

नामांतरण आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय का प्रकरण नामांतरण का न होकर बटवारा का प्रकरण है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमियां अनावेदक के नाना की हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 4–9–2011 को हुई, और उसके द्वारा अविलम्ब नकल प्राप्त कर दिनांक 28–9–2011 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण दर्शाया गया है । अंत में कहा गया कि अनावेदक द्वारा जानकारी के दिनांक से समय–सीमा में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, अतः अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–88 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 28–9–2011 को 22 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और लगभग 22 वर्षों तक तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी अनावेदक को नहीं होना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 163 ए/2007 की प्रति संलग्न है । उक्त व्यवहार वाद अनावेदक एवं अन्य के द्वारा दिनांक 3–9–2007 को प्रस्तुत किया गया । यदि कुछ समय तक यह मान भी लिया जाये कि अनावेदक को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं हो सकी, तब भी जब दिनांक 3–9–2007 को प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में अनावेदक द्वारा व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है तब उसे तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी हो चुकी थी, इसके बावजूद भी उसके द्वारा 4 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है । स्पष्टतः विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं था, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिाकरी द्वारा अनावेदक का

अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अपर कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी, खिड़किया जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2011 निरस्त किए जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर